

राजस्थान वाट 95/2019  
जीसीएमएस नंबर 2019/00142  
हरदीनराम बनाम प्रभुराम दगैरह

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान  
री अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर माफिक तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव  
दिनांक 27.10.2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत आकोड़ा के अनुसार निम्न प्रकार अंतिम टिक्री  
जाता है।


वादी हरदीनराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आकोड़ा का खेत खसरा नंबर 256 में से  
1.6633 हैक्टेयर पश्चिमी दक्षिणी कोना संलग्न नजरीनकशानुसार घोषित किया जाता है।

वादी दुलाराम के के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आकोड़ा का खेत खसरा नंबर 256 में  
से 1.6632 हैक्टेयर उत्तरी पश्चिमी कोना संलग्न नजरीनकशानुसार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 प्रभुराम, प्रतिवादी संख्या 2 के कायम मुकाम संन्तु देवी, हजारीराम,  
गेनाराम, देवेन्द्र कुमार, विरमाराम, रूकमा, हेमा, पुष्पा, प्रतिवादी संख्या 3 से 29 चुगनाराम,  
नानुराम, रेखाराम, पूर्णाराम, फुला, पाना, मनी, मोतीराम, श्रीकिशन, श्रवणलाल, नांगीलाल,  
मीरा, गीता, भवंरी, भंवरलाल, गेनाराम, मेघराम, हजारीराम, राजा, मैना सुखाराम, लिछना,  
लिखमाराम, अर्जुनराम, चुनाराम, पुखराज, सुन्दरी के संयुक्त हक वंट में मौजा आकोड़ा के  
खसरा नंबर 256 में से रकवा 3.3265 हैक्टेयर पूर्वी हिस्सा संलग्न नजरीनकशानुसार घोषित  
किया जाता है।

तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर  
जलास सुनाया गया।



27/10/2021  
(रवीन्द्र कुमार)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल